

**नेहरु युवा केन्द्र संगठन**  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(भारत सरकार)



नेहरु युवा केन्द्र संगठन

*विश्व का सबसे बड़ा युवा नेटवर्क*

**साथ साथ**  
**कल की ओर...**



युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्यक्रम युवा और किशोर विकास NPYAD योजना के अंतर्गत जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए

**दिशानिर्देश 2017-18**

1. प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है।

निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशानिर्देशों से जुड़े हैं।

- चयनित केंद्र अनुलग्नक- I में दिये गए हैं।
  - बजट विवरण अनुबंध II में दिया गया है।
  - परिचालन दिशानिर्देश अनुबंध III पर दिये गए हैं।
  - रिपोर्टिंग प्रारूप अनुबंध- IV पर दिये गए हैं।
2. अनुदानकर्ता संस्थान के खाते युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा CAG (DPC) अधिनियम 1971, GFR 2005 की धारा 211 के तहत निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और आंतरिक लेखा परीक्षा के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय को जब भी अनुदानकर्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है।
3. अनुदानकर्ता को अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन में उचित अर्थव्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए।
4. अनुदानकर्ता जीएफआर 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र में परिसंपत्तियों के रजिस्टर को बना कर रखेंगे। सरकारी अनुदान से पूरी तरह से या काफी हद तक अर्जित की गई संपत्ति को छोड़कर, सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना अप्रचलित घोषित नहीं किया जाएगा।
5. यह तथ्य कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है। इसलिए लोगों को आमंत्रित करने और कार्यो/ कार्यक्रमों/ कार्यक्रमों आदि को आयोजित करते हुए प्रमुखता से उजागर और प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
6. आपसे अनुरोध है कि संबंधित जिला युवा समन्वयक को जीवन कौशल शिक्षा शिविरों के संगठन के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहें।
7. एनएसएस और एनसीसी की स्थानीय जिला / राज्य इकाइयों को इस कार्यक्रम के लिए समन्वित किया जाना चाहिए।
8. सीबीएसई द्वारा प्रकाशित लाइफ स्किल एजुकेशन पर बुकलेट को लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप आयोजित करते समय संदर्भ सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। (अनुलग्नक- V के रूप में संलग्न प्रति)
9. भारत के सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए और साथ ही साथ इन्द्रधनुष कार्यक्रम और सवच्छता गतिविधियों से प्रतिभागियों को सरकार के राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाना चाहिए।
10. संस्थान और संदर्भ व्यक्तियों से समन्वय।
11. लाइफ स्किल एजुकेशन का पाठ्यक्रम का अनुपालन।

12. लाभार्थियों का डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और उसे रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए।
13. प्रतिभागियों की फीड बैक एकत्र की जाए और रिपोर्ट के साथ साझा की जाए।
14. कार्यक्रम और नियोजन विवरण की अनुसूची प्राथमिकता के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम युवा और किशोर विकास (एनपीवाईएडी) के साथ-साथ महानिदेशक के साथ सीधे उनके ईमेल पर साझा की जाएगी , अगर नहीं भेजा गया तो यह माना जाएगा कि जिला युवा समन्वयक द्वारा कार्यक्रम /जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जा रहा है।
15. प्रतिभागी का चयन ठीक से किया जाना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुसार)
16. (एन पी वाई ए डी )अनुभाग और साथ ही महानिदेशक को सीधे ईमेल पर, अगर नहीं भेजा तो यह माना जाएगा कि जिला युवा समन्वयक द्वारा जीवन कौशल शिक्षा का संचालन नहीं किया जा रहा है।
17. प्रतिभागी का चयन ठीक से होना चाहिए। (दिशा-निर्देशों के अनुसार)
18. शिविरों की अनुसूची को तर्कसंगत तरीके से योजना बनाई जानी चाहिए और निरीक्षण यात्राओं और औचक यात्राओं को कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। सतर्कता अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
19. कार्यक्रम शुरू होने से पहले संबन्धित जिला युवा समन्वयक को संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक VI) में जीवन कौशल शिक्षा शिविर ( LSE) के कार्यान्वयन की योजना नेयूकेस मुख्यालयदिल्ली को @ project.nyks@gmail.com पर भेजने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम का दौरा करने के लिए अधिकारियों और गणमान्य लोगों को निमंत्रण देने में सहायक होगा।
20. चयन /प्रतिभागियों को जीवन कौशल शिक्षा (एलएसई) शिविरों में आमंत्रित करना संबन्धित जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।
21. प्रतिभागियों को योजना के अंतिम रूप से लागू होने के तुरंत बाद चुना जाना चाहिए और इसे संबंधित राज्य निदेशकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। सासंद आदर्श ग्राम के युवाओं को भी जीवन कौशल शिक्षा शिविरों में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।
22. प्रतिभागी के साथ उनके आगमन पर कार्यक्रम से उनकी उम्मीदों के बारे में प्रतिभागी के साथ सहभागिता सत्र,औरउनके प्रस्थान के समय प्रतिक्रिया सत्र के बारे में कार्यक्रम से सकारात्मक रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। दोनों सत्रों की वीडियो-क्लिपिंग अनिवार्य है जिसे रिपोर्ट के साथ नेयूकेस के मुख्यालय के साथ अनुलग्नक VII (ए) और (बी) के द्वारा साझा किया जाना चाहिए।
23. जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर की विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध- VIII के अनुसार ( 3प्रतियों )में आनी चाहिए।
24. इस कार्यक्रम के लिए एनसीसी की स्थानीय जिला इकाइयों का समर्थन और संसाधन जुटाने के लिएउनकी उपयुक्तता के अनुसार शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

25. भारत सरकार के राष्ट्रीय फ्लैगशिप वित्तीय और सामाजिक समावेशन के कार्यक्रम में जागरूकता सृजित की जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न दिशानिर्देश देखें।
26. कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सतर्क और प्रभावी बनाने के लिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, पीआरआई सदस्य; राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति और जिला प्रशासन के अधिकारी; चेयरपर्सन और एस ए सी वाई पी और डी ए सी वाई पी के सदस्य और अन्य जिनके साथ नेयुके का सहयोग कर रहा है, उन्हें शिविर के दौरान विभिन्न अवसरों पर आमंत्रित किया जाना चाहिए। शिविर के बारे में उनकी टिप्पणी विजिटर बुक में ली जानी चाहिए।
27. कार्यक्रम के व्यापक कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आमंत्रित किया जाना चाहिए।
28. संबंधित राज्य कार्यालयों और केंद्रों को तत्काल जारी करने के लिए आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित पीएओ नेयुकेस को आवश्यक धनराशि जारी की जा रही है।
29. इस पत्र के साथ संलग्न बजट विवरण के अनुसार निधियों का सख्ती से उपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी डायवर्जन नहीं होना चाहिए। यहां तक कि इंटर हेड डायवर्जन की भी अनुमति नहीं है। खातों का निपटान वास्तविक व्यय या शीर्ष के बिना अधिकतम स्वीकार्य राशि के आधार पर होगा, जो कभी भी कम किया जा सकता है। यदि प्रतिभागियों की संख्या कम होगी तो बोर्डिंग और लॉजिंग और अन्य व्यय राशि के अनुसार कटौती की जाएगी।
30. सही और पूर्ण वास्तविक समय पर लेखांकन द्वारा समर्थित धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
31. गतिविधियाँ यूनिवर्सल कॉन्टेंट्स देती हैं जिनका उल्लेख वार्षिक कार्य योजना 2017-18 के दिशानिर्देशों में किया गया है।
32. कार्यक्रमके प्रारंभिक चरण की अवधि के दौरान जिला युवा समन्वयक को साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट राज्य निदेशकों को भेजेंगे और राज्य निदेशकों से अनुरोध है कि संकलित साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट श्री ए.के. वर्मा, सहायक निदेशक (एनपीवाईएडी) को ईमेल आईडी project.nyks@gmail.com पर भेजे।
33. व्यापक निगरानी तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। एक दैनिक रिपोर्ट राज्य निदेशक द्वारा श्री ए के वर्मा, सहायक निदेशक (एनपीवाईएडी) को भेज दी जाए।
34. संबंधित जिला युवा समन्वयक को भी प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए। बैठकों के माध्यम से दैनिक आधार और यदि कोई हो, तो मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। इसी तरह, उन्हें महानिदेशक और मुख्यालय द्वारा अग्रेषित निर्देशों के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए और उसी का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
35. यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संबंधित जिला युवा समन्वयक, नेयुके को ऑडिट उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ कार्यक्रम के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
36. कार्यक्रम के 07 दिनों के दौरान की गई गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट के साथ दिशानिर्देशों में संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाण के साथ प्रगति रिपोर्ट को गुणवत्ता एक्शन तस्वीरों, प्रेस क्लिपिंग और वीडियो-क्लिपिंग के साथ भेजा जाना चाहिए।

37. रिपोर्ट में मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रतिभागियों द्वारा दिए गए फीडबैक के विश्लेषण के साथ-साथ फीडबैक रिपोर्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए।
38. कृपया ध्यान दें कि 3 प्रतियों में उपर्युक्त रिपोर्ट की हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी को मुख्यालय को भेजना आवश्यक है।
39. वास्तविक व्यय पर आधारित और स्वीकृत जारी राशि के भीतर अंकेक्षित उपयो गिता प्रमाणपत्र कार्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
40. इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य में जिला युवा समन्वयको,को निर्देशित करने के लिए कहें कि वे इस कार्यक्रम का आयोजन करें और निम्नलिखित जमा करें; -
  - (ए) संसाधन व्यक्तियों के कार्यान्वयन, स्थल, कार्यक्रम की अनुसूची और संदर्भ व्यक्तियों की सूची।
  - (b) कार्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद रिपोर्ट और रिटर्न।

राज्य वार संख्या जो 2017-18के लिए जीवन कौशल शिक्षा शिविरों के कार्यान्वयन के लिए चुनी जा सकती है

क्र.सं.	लेखा वेतन एवं कार्यालय	राज्य	राज्य में केन्द्रों की संख्या	आवंटित जीवन कौशल शिक्षा शिविरों की संख्या
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1	बंगलोर	आंध्र प्रदेश	13	4
2		तेलंगाना	10	3
3		तमिलनाडू	30	11
4		पुदुच्चेरी	4	1
5		कर्नाटक	27	12
6		केरल, लक्षद्वीप एवं माहे	15	5
7	गांधीनगर	गुजरात, दादर नगर एवं हवेली, दमन एवं द्वीपू तथा गोवा	29	14
8		मध्य प्रदेश	48	25
9		छत्तीसगढ़	16	7
10		महाराष्ट्र	35	18
11	अलीपुर	राजस्थान	32	12
12		दिल्ली	9	7
13		हरियाणा	19	8
14		पंजाब एवं चंडीगढ़	21	8
15		हिमाचल प्रदेश	12	4
16		जम्मू एवं कश्मीर	14	8
17	गुवाहाटी	सिक्किम	4	2
18		आसाम	27	10
19		अरुणाचल प्रदेश	15	2
20		मेघालय	7	2
21		त्रिपुरा	4	3
22		नागालैंड	11	1
23		मणिपुर	10	5
24		मिजोरम	8	1
25	मुंबनेवर	ओडिशा	30	7
26		बिहार	38	12
27		पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	29	21
28		झारखंड	22	7
29	खनऊ	उत्तराखंड	13	3
30		उत्तर प्रदेश	71	32
		कुल	<b>623</b>	<b>255</b>

जीवन कौशल अभियान 2017-18 के लिए बजट विवरण

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा एनपीवाईएडी योजना के तहत जीवन कौशल शिक्षा शिविरों को बढ़ावा देने के नेहरू युवा केंद्र संगठन मुख्यालय को कौशल शिक्षा शिविरों के आयोजन के घटक के तहत 255 जीवन कौशल शिक्षा शिविर आयोजित करने के लिए रुपये 1,01,26,050/- रुपए एक करोड़ एक लाख छब्बीस हजार पचास केवल), अनुमोदन प्रदान किया गया है। हालाँकि , बड़े हुए बजट के अनुसार रुपये 39,710/- प्रति शिविर विवरण निम्न प्रकार से हैं:

ए	कोर स्टाफ के लिए मानदेय	7 दिनों के लिए
1	प्रशिक्षक (एमएसडब्ल्यू या इसके समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए) निष्पादन, समन्वय, अभिलेखों का रख-रखाव और शिविर प्रतिदिन 500 रुपये (500'7)	रुपये 3,500/-
2	परामर्शदाता (मनोविज्ञान), (ट्रेनर II) परामर्श, परीक्षण और प्रति दिन 500 रुपये (500'7) शिविर प्रदान करना	रुपये 3,500/-
बी	प्रति बैच गतिविधियों पर व्यय का विवरण:	7 दिनों के लिए
3	40 छात्रों के लिए मिड-डे मील और हल्के जलपान पर खर्च / 50/- प्रति व्यक्ति X7 प्रति दिन	रुपये 14,000/-
4	विशिष्ट विषयों को कवर करने वाले अतिथि/विशेषज्ञ व्याख्यान (प्रति बैच 2 व्याख्यान, रुपये 800/- प्रति व्याख्यान)	रुपये 1,600/-
5	जन शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों, आदि के लिए क्षेत्र का दौरा (वास्तविक बस द्वारा)	रुपये 3,000/-
6	प्रतिभागियों को शिविर किट 45 किट / रुपये 100/-	रुपये 4,500/-
7	ओवरहेड प्रोजेक्टर (OHP) एक दिन के लिए किराए पर लेने की लागत आदि	रुपये 2,000/-
8	मुद्रित सामग्री (प्रश्न उत्तर पत्रक और पठन सामग्री)	रुपये 2,000/-
9	आकस्मिक व्यय	रुपये 2,000
	कुल परियोजना लागत	रुपये 36,100/-
	प्रशासनिक लागत (10:) परियोजना लागत	रुपये 3,610/-
	कुल	रुपये 39,710/-

इसलिए, 255 शिविरों के लिए कुल बजट = रुपये 1,01,26,050 /-

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
7दिवसीय गैर-आवासीय जीवन कौशल शिक्षा शिविरोंके कार्यान्वयनहेतु  
संचालन संबंधी दिशा-निर्देश

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जीवन कौशल को अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार की क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी की मांग और परिवर्तनों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन कौशल के तीन व्यापक क्षेत्र हैं: विचार कौशल, सामाजिक कौशल और बातचीत कौशल।

- विचार कौशल: समस्या को हल करना , गंभीर रूप से सोचना , जानकारी को संसाधित करना और पसंद का अभ्यास करना, सूचित निर्णय लेना और लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है।
- सामाजिक कौशल: दूसरों की सराहना / पुष्टि करना शामिल है ; सहकर्मी समूहों और परिवार के साथ सकारात्मक संबंध बनाना ; प्रभावी ढंग से सुनना और संवाद करना ; जिम्मेदारी उठाना; और तनाव से मुकाबला करना।
- बातचीत कौशल: आत्म-बोध को शामिल करता है जो किसी व्यक्ति के मूल्यों, लक्ष्यों, शक्तियों और कमजोरियों को समझने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार , बातचीत कौशल को दो स्तरों पर बढ़ाया जाना चाहिए- स्वयं के भीतर और दूसरों के साथ। किशोरों को मुखर होने के लिए सीखने की जरूरत है , जिसमें ड्रग के उपयोग और अन्य हानिकारक वस्तुओं को "नहीं" कहना सीखना शामिल है। आक्रामकता के बिना मुखरता किशोरों के लिए महत्वपूर्ण और अपार कौशल है।
- शिविरों की अनुसूची को तर्कसंगत तरीके से योजना बनाई जानी चाहिए और निरीक्षण यात्राओं और औचक यात्राओंको कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। सतर्कता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सभी राज्य निदेशकों कार्यक्रम शुरू होने से पहले संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक V) में जीवन कौशल शिक्षा शिविर (LSE) के कार्यान्वयन की योजना मुख्यालय को पहले से ही भेजनी होगी। आयोजक कार्यालय/केंद्रों से कार्यान्वयन की योजना प्राप्त होने प र नेयुकेस दिल्ली इसे कार्यक्रम में शानदार उपस्थिति के लिए दिल्ली में प्रतिष्ठित अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों को भेजा जाएगा।
- एलएसई के प्रतिभागियों को आमंत्रित करना मेजबान जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। वह भाग लेने वाले केन्द्रों की भागीदारी की पुष्टि करेगा। यह देखना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि वह देखे की मेजबान केंद्रों ने जल्द से जल्द भाग लेने वाले केंद्रों को आमंत्रित किया है , और पुष्टि तुरंत प्राप्त कर ली है।
- योजना के अंतिम रूप से लागू होने के तुरंत बाद प्रतिभागियों को चयनित जाना चाहिए और इसे संबंधित राज्य निदेशकों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- प्रतिभागियों के आगमन पर कार्यक्रम से उनकी अपेक्षाओं के बारे में प्रतिभागी उनके साथ बातचीत सत्र , और उनके प्रस्थान के पर कार्यक्रम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया के बारे में प्रतिभागी के साथ प्रतिक्रिया सत्र को आवश्यक रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। दोनों सत्रों की वीडियो-क्लिपिंग अनिवार्य है जिसे रिपोर्ट के साथ नेयुकेस मुख्यालय के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- एनसीसी की स्थानीय जिला इकाइयों को इस कार्यक्रम के लिए समन्वित किया जाना चाहिए। उनकी उपयुक्तता के अनुसार शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- वित्तीय और सामाजिक समावेशन के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। अधिक विवरण के लिए कृपया संलग्न दिशानिर्देश देखें।
- कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सतर्क और प्रभावी बनाने के लिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि अर्थात् माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, पीआरआई सदस्य; राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति और जिला प्रशासन के अधिकारी; चेयरपर्सन और एसएसीवाईपी औरडीएसीवाईपी के सदस्य और अन्य जिनके साथ नेयुके सहयोग कर रहा है, उन्हें शिविर के दौरान विभिन्न अवसरों पर आमंत्रित किया जाना चाहिए। शिविर के बारे में उनकी टिप्पणी आगंतुक पुस्तिका में ली जानी चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को कार्यक्रम के व्यापक कवरेज के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जानी चाहिए।
- संबंधित राज्य कार्यालयों और केंद्रों को अनुबंध ए के अनुसार तत्काल धनराशि जारी के लिए आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालयों नेयुकेस को आवश्यक धनराशि जारी की जा रही है।
- इस पत्र के साथ संलग्न बजट विवरण के अनुसार निधियों का सख्ती से उपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी डायवर्जन नहीं होना चाहिए। यहां तक कि इंटर हेड डायवर्जन की भी अनुमति नहीं है। खातों का निपटान वास्तविक व्यय या शीर्ष के बिना अधिकतम स्वीकार्य राशि के आधार पर होगा, जो कभी भी कम हो सकता है यदि प्रतिभागियों की संख्या कम होगी तो भोजन एवं आवास और अन्य व्यय राशि के अनुसार कटौती की जाएगी।
- सही और पूर्ण वास्तविक समय लेखांकन द्वारा समर्थित धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- कार्यक्रम की तैयारी के चरण के दौरान जिला युवा समन्वयक को साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट राज्य निदेशकों को भेजनी चाहिए। राज्य निदेशकों से अनुरोध है कि संकलित साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट श्री नंद कुमार सिंह, उप निदेशक (एनपीवाईएडी) को भेजें। उसकी ईमेल आईडी [project.nyks@gmail.com](mailto:project.nyks@gmail.com) है।
- व्यापक निगरानी तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। एक दैनिक रिपोर्ट राज्य निदेशक द्वारा डॉ अर्जुन कुमार वर्मा, सहायक निदेशक (एनपीवाईएडी) को भेज दी जाएगी।
- प्रतिक्रियाशील राज्य निदेशक को भी बैठकों के माध्यम से दैनिक आधार पर प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए और यदि कोई हो, तो मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। इसी तरह, उन्हें महानिदेशक और मुख्यालय द्वारा अग्रेषित निर्देशों के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए और उसी का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के निदेशकों को कार्यक्रम आयोजित करने और राज्य निदेशकों को भाग लेने के लिए, नेयुकेस को कार्यक्रम के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

- प्रतिक्रिया प्रारूप के माध्यम से प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए और वास्तविक रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

- दिशा-निर्देशों (अनुलग्नक -10) में संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ कार्यक्रम के 07 दिनों के दौरान की गई गतिविधियों की अच्छी गुणवत्ता की विस्तृत रिपोर्ट , गुणवत्ता कार्रवाई की तस्वीरों, प्रेस क्लिपिंग और वीडियोग्राफ द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

- मूल्यांकन रिपोर्ट , प्रतिभागियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के विश्लेषण के साथ-साथ प्रतिक्रिया रिपोर्ट का समावेशकर नेयुकेस मुख्यालय को कार्यक्रम भेजा जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि सॉफ्ट कॉपी के साथ रिपोर्ट की हार्ड कॉपी को मुख्यालय को भेजना आवश्यक है।

- वास्तविक व्यय पर और स्वीकृत जारी राशि के भीतर अंकेक्षित उपयोग प्रमाण पत्र कार्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जीवन कौशल शिक्षा शिविरों का उद्देश्य और उद्देश्य:

किशोर जीवन कौशल प्रशिक्षण (2017-18) इसका उद्देश्य है:

1. मौजूदा सकारात्मक व्यवहार के सुदृढीकरण और जीवन कौशल को मजबूत करने के अवसर प्रदान करें जो युवाओं को उनकी रक्षा करने और उनके जीवन में आने वाली जोखिम भरी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नेयुकेस व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में क्षमता विकसित करने के लिए विशेष रूप से युवाओं और उनके सामाजिक नेटवर्क तक पहुँचने के लिए बहुत उत्सुक है।

उद्देश्य :

- जीवन कौशल विकास के लिए गतिविधियों का आयोजन करना।

- स्कूली किशोरों में एचआईवी / एड्स और मादक द्रव्यों के सेवन और सामाजिक मुद्दों सहित किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य ( ARSH) के प्रति स्वस्थ व्यवहार और जिम्मेदार व्यवहार विकसित करने के लिए आवश्यक जीवन कौशल विकसित करना।

- पारंपरिक लिंग भूमिकाओं (हिंसा , वर्चस्व, भेदभाव) के हानिकारक पहलुओं की पहचान करना और रिश्तों में लैंगिक समानता की दिशा में काम करने के प्रभावी तरीके तैयार करना ।

- जीवन कौशल में वृद्धि जैसे माता-पिता और बच्चों , शिक्षकों और छात्रों के बीच यौन कौशल और प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों पर मुखरता, और संचार और बातचीत कौशल ।

- निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना, जिसमें नैतिक और स्थितिजन्य विश्लेषण कौशल शामिल हैं।

• कार्यक्रमों में नेतृत्व करने के लिए युवा वयस्कों की अपने लाभ के लिए की क्षमता में वृद्धि करना , विशेष रूप से समस्याओं का आकलन करना , प्रतिक्रियाओं को पहचानना ,कार्यक्रमों को व्यवस्थित और प्रबंधित करना और उनका मूल्यांकन करना सीखना।

जीवन कौशल शिक्षा शिविरों के घटक:

- किशोरों को जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
- विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशीलता
- समुदाय आधारित गतिविधियाँ

इनके अलावा , जीवन कौशल शिक्षा शिविर के दौरान , प्रतिभागियों द्वारा हर रोज़ एक सफाई अभियान चलाया जाएगा और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों पर शिक्षित और प्रेरित करने के लिए विशेषज्ञों और संदर्भ व्यक्तियों की मदद से विशेष सत्र भी आयोजित किए जाने चाहिएजैसे:

- ✓ प्रधानमंत्री जन धन योजना, (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना)।
- ✓ मुद्रा बैंक (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री-फाइनेंस एजेंसी)।
- ✓ स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल भारत अभियान- शौचालयों का निर्माण।
- ✓ डिजिटल इंडिया।
- ✓ मेक इन इंडिया।
- ✓ स्किल इंडिया।
- ✓ बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ अभियान।
- ✓ सुशासन और नागरिक जिम्मेदारियों का अभ्यास और संवर्धन।
- ✓ सासंद आदर्श ग्राम योजना में भागीदारी।
- ✓ श्रमदान - युवाओं को अपने क्षेत्रों में एक वर्ष ( 2 घंटे एक सप्ताह) में स्वैच्छिक श्रम पर 100 घंटे समर्पित करने के लिए प्रेरित करना।
- ✓ युवाओं और जनता के लाभ के लिए अन्य योजनाएं।

**लाभार्थियों के चयन की विधि:**

इस जीवन कौशल प्रशिक्षण में 40 प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके लिए निम्नलिखित व्यापक मापदंड निर्धारित किए गए हैं:-

• प्रतिभागियों का आयु समूह 10-19 वर्ष होगी ।

• सभी प्रतिभागियों को अधिमानतः नेयुके से जुड़े किशोर मण्डल/ युवा मण्डल के सदस्य होंगे। प्रतिभागियों को नेयुके / युवा मण्डल द्वारा आयोजित युवा गतिविधियों में भाग लेना चाहिए था। महिलाओं, आ जा /अ ज जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अधिक संख्या में महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सासंद आदर्श ग्राम के युवाओं को भी जीवन कौशल शिक्षा शिविरों में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।

## शिविरों के चरण:

### • प्रारंभिक चरण

तिथियों का अंतिम रूप , स्थल का चयन , प्रतिभागियों का चयन , संसाधन व्यक्ति की पहचान , सुविधा और प्रशिक्षक प्रतिभागियों और संदर्भ व्यक्तियों/सुविधादाता/प्रशिक्षकों को निमंत्रण। अन्य सामग्री उपकरणों और पढ़ने और सीखने की सामग्री की व्यवस्था।

### • कार्यान्वयन चरण

योजना के अनुसार प्रशिक्षण का सुचारु रूप से संचालन।

### • प्रलेखन चरण

तस्वीरों और प्रेस क्लिपिंग सहित विस्तृत वास्तविक और वित्तीय रिपोर्ट के साथ जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए उचित प्रलेखन किया जाना चाहिए।

## रणनीति:

बीच की रणनीति , यानी एक ग्रामीण परिपेक्ष्य में किशोरों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना , इसलिए न केवल किशोरों बल्कि उनके माता-पिता और गांव को भी दिशा मिलेगी। यह पुनः समाजीकरण कार्यक्रम होगा और इसलिए यह किशोरों, उनके भाई-बहनों और माता-पिता के बीच नए व्यवहार पद्धति को स्थापित करने में सहायता करेगा। यह जीवन निर्माणचरित्र निर्माण और समग्र विकास के लिए विचारों को आत्मसात करने सहायता करेगा।

1 युवा कार्यो के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन , प्रतिभागियों को अकादमिक पद्धति से न केवल , भागीदारी और उनके लिए जीवन कौशल प्रदान करने के लिए उदाहरणात्मक तरीकों के माध्यम से अतिरिक्त समाजीकरण में संलग्न किया जाएगा , बल्कि खेल और साहसिक गतिविधियों में उनकी निरंतर भागीदारी के माध्यम से भी किया जाएगा। ।

ii 7 दिनों के जीवन कौशल शिक्षा शिविर के कार्यान्वयन के लिए जिला युवा समन्वयकों के लिए प्रस्तावित कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

• चयनित जिले में 40किशोर प्रतिभागी, लड़कियों और लड़कों दोनों का चयनकरना , विशेषकर गैर प्रशिक्षित पीयर प्रशिक्षकों का ।

• प्रशिक्षकों और काउंसलर का चयन: प्रशिक्षक काउंसलर प्रशिक्षक एवं काउंसलर दोनों का करी करेंगे। विश्वविद्यालयों के पीजी केंद्रों के सामाजिक विज्ञान धाराओं में मास्टर डिग्री धारकों और अनुसंधान छात्रों मे से चयनित किए जाएंगे।

• जीवन कौशल शिक्षा और प्रतिभागियों को कुछ अन्य सामाजिक रूप से उपयोगी जानकारी देने के लिए शैक्षणिक, भागीदारी और प्रदर्शन पद्धति के माध्यम से गतिविधियों के एक पैकेज का प्रोग्रामिंग और वितरण उपरोक्त टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लाइफ स्किल , ARSH और HIV / AIDS के क्षेत्र में परामर्शदाताओं / विशेषज्ञ

प्रशिक्षण देने वाले और वकालत करने वाले संदर्भ व्यक्तियों। इन संदर्भ व्यक्तियों और ट्रेनर के अलावा एक काउंसलर को प्रशिक्षण के दौरान परामर्श और प्रोग्राम और प्रबंधकीय मुद्दों को कवर करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। सभी दिनों के लिए शिक्षाविदों और पेशेवरों और

अभिभावकों की सेवाएं ली जाएंगी। य ह संदर्भ व्यक्ति अन्य शेष शिविरों के लिए कार्य कर सकते हैं। समग्र विकास के लिए जीवन निर्माण , मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और विचारों को आत्मसात करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

॥निम्नलिखित उपकरणों की निगरानी , मूल्यांकन और प्रभावी अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने की योजना है:

- जिला युवा समन्वयक प्रशिक्षण कार्यक्रम की नियमित रूप से निगरानी करेगा। कार्यक्रम के दौरान राज्य निदेशक / उपनिदेशक को कम से कम एक बार कार्यक्रम का दौरा करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए फॉर्म में उसकी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए है।
- कार्यशालाओं, व्याख्यान, भागीदारी, वॉल पत्रिका , खेल और बाहरी गतिविधियों पर कार्रवाई की हर दिन के कार्यक्रम की तस्वीरें ली जाएंगी।
- उपनिदेशक और जिला युवा समन्वयक द्वारा प्रभाव अध्ययन, मूल्यांकन और नियमित निगरानी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षकों । और ॥ द्वारा अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट को में ट्रेनर्स। एवं ॥ की दैनिक प्रगति रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, निगरानी रिपोर्ट, प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट और गाँव के लोगों, माता-पिता, प्रतिभागियों और प्रतिभागियों के बारे में जिला युवा समन्वयक की सामान्य सोच, कार्यक्रम के बारे में संदर्भ व्यक्ति और एक्शन तस्वीरों शामिल होंगे।
- संस्थान और संदर्भ व्यक्तियों की वचनबद्धता।
- जीवन कौशल शिक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुपालन
- लाभार्थियों का डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और उसे रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए।
- प्रतिभागियों का फीड बैक एकत्र किया जाना चाहिए और रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए।
- कार्यक्रम और नियोजन के विवरणों को प्राथमिकता के आधार पर युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) अनुभाग के साथ-साथ महानिदेशक के साथ सीधे उनके ईमेल पर साझा किया जाएगा, अगर नहीं भेजा गया तो यह माना जाएगा कि जिला युवा समन्वयक इसे आयोजित नहीं कर रहे हैं / जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम का संचालन नहीं किया गया।
- प्रतिभागियों का चयन उचित प्रकार से करना।  
लाइफ स्किल का प्रभावी अधिग्रहण एक तरह से अपने और दूसरों के बारे में महसूस कर सकता है और किसी की उत्पादकता, प्रभावकारिता, आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। जीवन कौशल पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तरीका और तकनीक भी प्रदान कर सकते हैं। सामूहिक मोड में किशोरों की चिंताओं के मुद्दों पर काम करते हुए, ये 7दिवसीय गैर-आवासीय जीवन कौशल शिक्षा शिविर किशोरों के विभिन्न समूहों की सीखने की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

दैनिक गतिविधियों में निम्नलिखित गतिविधियाँ, विषय और कार्यप्रणालियाँ शामिल होंगी:

**विषय:**

- सभी दस मुख्य जीवन कौशल;
- सामान्य स्वास्थ्य , प्रजनन और बाल स्वास्थ्य , एचआईवी, एड्स, एसटीडी और अन्य बीमारियों के बारे में जागरूकता और ज्ञान से संबंधित विषय;
- पोषण;

- मादक पदार्थ और शराबके दुष्परिणाम
- एक स्वस्थ परिवार के मानदंड और अनिवार्यताएं;
- स्वस्थ नैतिक जीवन;
- लिंग संबंधी मुद्दे और
- नियमित परामर्श आदि।
- भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं ।

कार्यप्रणाली (भाग- 1): सभी तीन यानी शैक्षणिक, भागीदारी और प्रदर्शन पद्धति का उपयोग 7 दिनों के दौरान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों और तकनीकों का उपयोग इन श्रेणियों में किया जाएगा , विशेष रूप से सूचना और ज्ञान के शिक्षण और संचार के लिए निम्नानुसार हैं:

**शैक्षणिक पद्धति:**

क्र.सं.	विधि	तकनीक
1	व्याख्यान और कक्षा में चर्चा	दैनिक चर्चा के लिए सूचीबद्ध मुद्दों पर विषय-विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। व्याख्यान के बाद चर्चा, पार्श्व विचार, प्रश्न और उत्तर आदि होंगे।
2	कक्षा में कहानी कहना या कहानी पढ़ना	पंचतंत्र, मान सरोवर, लाइफ स्किल एजुकेशन आदि की कहानियों को नियमित रूप से पढ़ना/बताना एक प्रतिष्ठित ग्रामीण, या नेयुके के कर्मचारियों या एक संदर्भ व्यक्तियों द्वारा सत्रों में आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागियों द्वारा कहानी का विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण और चर्चाके आधार पर सीखने के बिंदुओं को निर्धारित किया जाएगा।

**प्रतिभागिता पद्धति:**

क्र.सं.	विधि	तकनीक
1	चर्चा	प्रत्यक्ष विषयगत चर्चा या विचार मंथन या/ और प्रश्न बॉक्स तकनीक, या/ और कोई भी अन्य जो शिक्षकद्वारा निर्धारित किए जाएँ।
2	वाद-विवाद	प्रशिक्षकों और किशोर द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुत समस्याया मुद्दे पर बहस कर सकते हैं।

**प्रदर्शन विधि:**

क्र.सं.	विधि	तकनीक
1	प्रोजेक्टर, स्लाइड शो, ऑडियो और विजुअल	प्रोजेक्टर और स्लाइड शो स्पष्टीकरण और चर्चा के साथ।
2	चार्ट तैयार करना	प्रतिभागियों द्वारा समूहों और प्रस्तुतियों में चार्ट बनाना
3	शैक्षिक और मनोरंजक प्रकृति	क्षेत्र का दौरा
4	दीवार पत्रिका पर काम करें	किशोर, कला, लेखन, कहानी, फोटोग्राफ

		आदि जैसे रचनात्मक लेख जैसे किशोरों के मुद्दों पर जीवन कौशल, पोषण, सशक्तिकरण आदि।
5	मॉडल और पिलप चार्ट, चित्र आदि का प्रदर्शन	मॉडल और पिलप चार्ट, चित्र आदि का प्रदर्शन और चर्चा के बाद प्रदर्शन और स्पष्टीकरण और सीखने के बिंदुओं को नोट करना।
6	फिल्में	प्रेरक और प्रेरणादायक फिल्में।
7	केस स्टडीज	स्थिति विश्लेषण गतिविधियों को प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शुरू किया जा सकता है।

कार्यप्रणाली (भाग II): प्रतिभागियों को व्यवस्थित करने के लिए और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए गांव या पंचायत के भीतर पर्यावरण के निर्माण के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाएगा: -

- ग्राम सभा / सभाओं की बैठक;
- माता-पिता के साथ कार्यशाला;
- शिक्षाशास्त्र सत्र में शामिल होने के लिए माता-पिता को मुखर निमंत्रण;
- परिवार, समुदाय और किशोर मण्डल के साथ जीवन कौशल शिक्षा के संपूर्ण कार्यक्रम को संबद्ध करने के लिए शिक्षाशास्त्र का उपयोग करके प्रतिभागियों के मूल और नवजात समाजीकरण को मजबूत करने की दिशा में व्यक्तिगत और परिवार के उदाहरणों और तकनीकों का उपयोग।
- नियमित (दैनिक) खेल, साहसिक गतिविधियाँ और योग सत्र।
- भूमिका निर्वहन।

यदि कोई अन्य विधि, जो ऊपर नहीं दी गई है, लेकिन आवश्यक महसूस किया जाता है तो ट्रेनर I और II, काउंसलर, संदर्भ व्यक्तियां अन्य प्रशिक्षकों और शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण टीम की आम सहमति से इस्तेमाल किया जा सकता है,

इनके अलावा, चालू वर्ष के दौरान एक दिन शिविर में प्रतिभागियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर प्रतिभागियों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए विशेषज्ञों और संदर्भ व्यक्तियों की मदद से विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

- ✓ प्रधानमंत्रीजनधनयोजना,
- ✓ स्वच्छ भारत मिशन
- ✓ निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए प्रेरणा और सुविधा
- ✓ श्रमदान के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करना

7 दिनों के लिए दिन-प्रतिदिन का कार्यक्रम:

जबकि सभी 7 दिनों के लिए दिन के काम का समय दिया जा रहा है , जिला युवा समन्वयक (DYC) सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र की स्थितियों के कारण यदि संशोधित किए जाने की आवश्यकता है , तो कुछ गतिविधियों के अलावा या पुनर्गठन का फैसला कर सकते हैं। गतिविधियों का दिनवार कार्यक्रम निम्नानुसार है:

समन्वय एजेंसियां:

जिला / ब्लॉक प्रशासन, शैक्षिक संस्थान, पंचायती राज संस्थान, एन एस एस, एन सी सी और जिले में विकास में काम करने वाली अन्य एजेंसियों को कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए चयनित किया जा सकता है।

## कार्यक्रम अनुसूची

<p>प्रथम दिन</p>	<p>आइस ब्रेकर, परिचय, उद्देश्य, "देना और प्राप्त करना", ग्राउंड रूल्स, प्रश्न बॉक्स, प्रतिभागियों द्वारा योगदान किए गए प्रशिक्षण अवधि के दौरान 4 पेज न्यूजलेटर के लिए समिति का गठन आदि।</p>	<p>चाय का समय</p>	<p>शिक्षकों, अभिभावकों और किशोरों के साथ बातचीत।</p> <p>चर्चा के बिंदु: हम इस परियोजना को क्यों चाहते हैं, किशोरों के अभिभावकों को प्रशिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित अन्य मुद्दों से क्या मिलता है।</p>	<p>दोपहर का भोजन</p>	<p>जीवन कौशल का परिचय</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कौशल और जीवन कौशल</li> <li>2. जीवन कौशल क्या हैं? प्रकार और वर्गीकरण</li> <li>3. जीवन कौशल कैसे कार्य करता है?</li> <li>4. जीवन कौशल हासिल करना: माता-पिता, समाज, मीडिया की भूमिका</li> </ol>	<p>चाय का समय</p> <p>आउटडोर और इंडोर गेम्स, एक पैर वाली रेस, ब्रेन टीज़र, केस स्टडी, एक्सरसाइज़</p> <p>संक्रमण के लिए अखबार और मीडिया का उपयोग करना</p>
<p>दूसरा दिन</p>	<p>समाचार पत्र आदि पर पिछले दिन के काम की चर्चा</p>	<p>चाय का समय</p>	<p>जीवन कौशल को समझना</p> <p>समूह कार्य (पंचतंत्र की कहानियाँ, अन्य विधियाँ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. "जीवन कौशल और उनकी बातचीत को समझना"</li> <li>2. जीवन कौशल का अभ्यास—प्रासंगिक स्थितियाँ</li> </ol> <p>किशोरों के लिए ज्ञान और कौशल का स्थानांतरण</p> <p>ग्रामीण परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करें कहानी विश्लेषण: पंचतंत्र</p>	<p>दोपहर का भोजन</p>	<p>किशोरों की कमजोरियाँ : कोलाज, ब्रेन स्टॉर्मिंग,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. किशोरावस्था और किशोरों को समझना:</li> <li>2. किशोरावस्था: विकासात्मक मुद्दे और उनका प्रभाव</li> </ol>	<p>चाय का समय</p> <p>आउटडोर और इंडोर गेम्स, एक पैर वाली रेस, ब्रेन टीज़र, केस स्टडी, एक्सरसाइज़</p> <p>संक्रमण के लिए अखबार और मीडिया का उपयोग करना</p>

तीसरा दिन	समाचार पत्र आदि पर पिछले दिन के काम की चर्चा	चाय का समय	किशोर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य समूह गतिविधि, बढ़ते हुए गर्भाधान और गर्भनिरोधक लिंग और सेक्स चयनात्मक गर्भपात की अवधारणा। किशोर गर्भावस्था के परिणाम	दोपहर का भोजन	1. किशोरों और आरटीआई, एसटीआई 2. किशोरों और एचआईवी जीवन कौशल शिक्षा और अर्थ को जोड़ना	चाय का समय	आउटडोर और इंडोर गेम्स, एक पैर वाली रेस, ब्रेन टीज़र, केस स्टडी, एक्सरसाइज़ अखबार और मीडिया का उपयोग करना
चौथा दिन	समाचार पत्र आदि पर पिछले दिवस के कार्य पर चर्चा	चाय का समय	उच्च जोखिम व्यवहार को समझना मादक द्रव्यों का सेवन अर्थ और मादक द्रव्यों के सेवन पर भूमिका समस्या का समाधान आधारित प्रतिक्रिया और प्रश्नोत्तर	दोपहर का भोजन	कैसे और प्रभावी अधिवक्ता हों। वकालत करना चर्चा, ब्रेन स्टॉर्मिंग भूमिका निभाना प्रश्नोत्तर सत्र	चाय का समय	आउटडोर और इंडोर गेम्स, एक पैर वाली रेस, ब्रेन टीज़र, केस स्टडी, अभ्यास अखबार और मीडिया का उपयोग करना
पांचवां दिन	समाचार पत्र आदि पर पिछले दिन के काम की चर्चा	चाय का समय	किशोरों के साथ परामर्श और परामर्श: कौशल और संचार में बाधाएं किशोरों के लिए विशिष्ट संचार बाधाएं— कौशल निर्माण काउंसलिंग चर्चा की मूल बातें, ब्रेन स्टॉर्मिंग भूमिका निभाना	दोपहर का भोजन	पास के जन शिक्षण संस्थान में एनजीओ, वीटीएस आदि का दौरा	चाय का समय	भारत सरकार के प्लैगशिप कार्यक्रम

छटा दिन	समाचार पत्र आदि पर पिछले दिन के काम की चर्चा आदि की फील्ड के दौर का संक्षिप्त विवरण	चाय का समय	कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श	दोपहर का भोजन	बुद्धिशीलता, समूह कार्य स्वास्थ्य क्षेत्र में पहुँचना और "मांग पैदा करना"  रेफरल की व्यवस्था, "डिपो होल्डिंग" शिक्षा क्षेत्र के पीयर टू पीयर दृष्टिकोण, शिक्षा के अवसर, ट्यूशन	चाय का समय	आउटडोर और इंडोर गेम, एक पैर वाली दौड़, ब्रेन टीज़र, केस स्टडी, एक्सरसाइज़ के लिए अखबार और मीडिया का उपयोग करना
सातवां दिन	समाचार पत्र आदि पर पिछले दिन के काम की चर्चा	चाय का समय	शिक्षकों, अभिभावकों और किशोरों के साथ सहभागिता प्रस्तुति कारण और बातचीत सत्र	दोपहर का भोजन	समापन धन्यवाद ज्ञापन	चाय का समय	-----

7 दिनों के जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का परिणाम:

- प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कवर किए जाने वाले कुछ क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर अद्यतन जानकारी मिलेगी, उदाहरण के लिए, जीवन कौशल शिक्षा, लिंग, मादक द्रव्यों के सेवन और उच्च जोखिम वाले व्यवहार, आदि।
- प्रतिभागी एक-दूसरे से परिचित होंगे और सहकर्मी के रूप में अपनी व्यक्तिगत भूमिकाओं की पहचान करने में सक्षम बनेंगे।
- प्रतिभागी अपने जीवन को आकार देने के लिए 10 मुख्य जीवन कौशल तकनीकों को प्राप्त करने के तौर-तरीकों को समझेंगे।

परियोजना के बारे में:

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पत्र संख्या G-12011/14/2017-NPYAD दिनांक 23.08.2017के द्वारा रुपये 1,01,26,050 / - (रुपये एक करोड़ एक लाख छब्बीस हजार पचास केवल) 39,710 / @ प्रति शिविरकी दर से वर्ष 2017-18 के लिए 255 शिविरों 255 जीवन कौशल शिक्षा शिविरों के आयोजन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

नोट: IX और X के लिए CBSE के जीवन कौशल शिक्षा और CCE पर पठन सामग्री को भी जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते समय संदर्भित किया जा सकता है। (उक्तप्रति अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है)।

प्रारूप- आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बांड और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप नीचे दिया गया है जिसे आवेदक द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन के समय भरा जाना चाहिए।

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार  
जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर, 2017-18

आवेदन पत्र  
(मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और क्षतिपूर्ति बॉन्ड के साथ जमा किया जाना है)

नाम: —.....  
पिता का नाम/पति या पत्नी का नाम: —.....  
जन्म तिथि: —..... आयु 1 जून 2017 को .....  
लिंग: —.....  
शैक्षिक योग्यता:—.....  
जनजाति का नाम: —.....  
पूरा पता, पिन कोड के साथ : —.....

प्रतिभागियों के विधिवत  
पासपोर्ट आकार के  
फोटोग्राफ को चिपकाने  
के लिए जगह

.....  
(स्वयं और अभिभावक दोनों) एसटीडी कोड के साथ फोन नंबर/मोबाइल नंबर पर  
संपर्क करें: —.....  
जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर में पहल भाग लिया या नहीं .....  
क्या युवा मंडल/महिला मंडल के सदस्य .....  
युवा कार्य या सामुदायिक सेवा में अनुभव .....  
इस कार्यक्रम से आपकी क्या उम्मीदें हैं।.....

बैंक खाते के विवरण:—

बैंक खाता संख्या: ————— आधार संख्या:—————  
बैंक का नाम: —————  
MICR कोड: —————IFSCकोड:—————

नाम और पता दो संदर्भों के टेलीफोन नंबर

संदर्भ 1 का विवरण: —

नाम: \_\_\_\_\_  
पता: \_\_\_\_\_

टेलीफोन/मोबाइल नंबर \_\_\_\_\_

संदर्भ 2 का विवरण: —

नाम: \_\_\_\_\_  
पता: \_\_\_\_\_

टेलीफोन/मोबाइल नंबर \_\_\_\_\_

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी वचन दे रहा हूँ कि मैंने अपने माता-पिता/अभिभावक को LSEशिविरों में भाग लेने के लिए सूचित कर दिया है।

आवेदक का हस्ताक्षर

(नाम .....)

स्थान:

दिनांक:

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
क्षतिपूर्ति बांड  
(आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करने के लिए)  
जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर, 2017-18

मैं,-----का सुपुत्र/सुपुत्री,-----गांव का निवासी  
-----, जिला

----- यह घोषणा करते हैं कि जीवन कौशल शिक्षा शिविर (एलएसई), 2017-18 के प्रतिभागी के रूप में, मैं स्वेच्छा से जीवन कौशल शिक्षा के कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेता/लेती हूं। और मुझे जीवन कौशल शिक्षा (एलएसई) (लाइफ स्किल एजुकेशन एजुकेशन (एलएसई) और कार्यक्रम स्थल तक ले जाने और वापसी के लिए यात्रा सहित) की विस्तृत जानकारी दी गई है चोट या कोई दुर्घटना जो मुझे एलएसई 2017-18 के कार्यक्रम और गतिविधियों के दौरान हो सकती है और किसी भी परिस्थिति में मैं किसी के लिए कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी। चोट या कोई दुर्घटना जो मुझे एलएसई 2017-18 के कार्यक्रम और गतिविधियों के दौरान हो सकती है।

मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूं कि नेयुकेसं और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार इस कार्यक्रम और गतिविधि के दौरान मेरे द्वारा किसी भी दुर्घटना/हानि/चोट के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा/होऊंगी।

-----  
(प्रतिभागी का हस्ताक्षर)

-----  
(माता-पिता का हस्ताक्षर)

नाम-----

नाम-----

दिनांक-----

दिनांक-----

-----  
गवाह 1 का हस्ताक्षर:

-----  
गवाह 2 का हस्ताक्षर:

नाम-----

नाम-----

दिनांक-----

दिनांक-----

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट  
(एमबीबीएस डिग्री रखने वाले पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित होना)  
(आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करने के लिए)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) नाम:-----

आयु-----लिंग :-----

पूरा पता:-----

पिता का नाम:-----

ऊंचाई-----वजन:-----

रक्त समूह और आरएच फैक्टर :----- छाती:-----

दिल और फेफड़े:-----


दृष्टि: दायां----- बायां-----

रंग दृष्टि:-----

सुनवाई:-----

हार्निया / हाईड्रोसील / बवासीर:-----

टिप्पणी:-----



मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/कुमारी/श्रीमती की सावधानीपूर्वक जांच की है।  
----- पुत्र/पुत्री की -----, जिन्होंने मेरी  
उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। उसे कोई मानसिक और शारीरिक बीमारी नहीं है और वह कार्यक्रम में भाग लेने के  
लिए फिट है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मोहर और पंजीकरण संख्या के साथ चिकित्सा अधिकारी के

नाम:-----

स्थान:-----

दिनांक:-----

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
जीवन कौशल शिक्षा शिविर (गैर-आवासीय शिविर), 2017-18  
(संक्षिप्त रिपोर्टिंग प्रारूप)

जिले का नाम: \_\_\_\_\_ राज्य का नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्थान: \_\_\_\_\_

1. शिविरों में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? .....
2. प्रतिभागी कितने गाँवों से आए थे? .....
3. शिविर धारकों की श्रेणीवार संख्या ' जिन्होंने शिविर कार्यक्रम में भाग लिया:

पीआरआई सदस्य	शिक्षक	अभिभावक	गैर-सरकारी संस्था	सामाजिक कार्यकर्ता	अन्य	कुल

इस कार्यक्रम में हितधारक हैं: माता-पिता, किशोरों के बड़े भाई और बहनें; ग्राम ग्राम सभा के सदस्य; पंचायत के सदस्य, स्कूल शिक्षक, लोक सेवक जैसे बी.डी.ओ. पंचायत अधिकारी, जिला और खंड शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त, विकास कार्यक्रम से संबंधित सभी अधिकारी, खेल अधिकारी, खेल कोच, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन आदि।

4. काम को 2 प्रशिक्षकों के बीच कैसे विभाजित किया गया था (तालिका में विस्तार से लिखें)

प्रशिक्षक-I (परामर्शदाता)	प्रशिक्षक-II (परामर्शदाता)

5. शिविरों में कितने प्रतिभागियों को परामर्श मिला? .....
6. क्या परामर्शदाता ने परामर्श के दौरान किसी समस्या का सामना कर रहा था? हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो किस क्षेत्र में: अर्थ ARSH एचआईवी एड्स देखभाल माग जीवन कौशल

**कवर किए गए विषय**

7. प्रशिक्षण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया: -

जीवन कौशल अ H एचआईवी पोषण लिंग मुद्दा

अन्य लोग

दूसरों के लिए विषय का विषय लिखें: \_\_\_\_\_

8. प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ:

व्याख्यान विधि का निभाते हैं कहान चर्चा

पावर प्वाइंट प्रदर्शन पाई

9. संदर्भ व्यक्ति जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए:

क्र.सं.	संदर्भ व्यक्तियों का नाम	संगठन/विभाग	उसका/उसकी योग्यता	विषय शामिल
1				
2				
3				
4				

10. जीवन कौशल प्रशिक्षण में अध्ययन के परिणाम \_\_\_\_\_

11. खेल/खेल किया: हाँ  नहीं

यदि हाँ, तो कृपया खेलों/खेलों के नाम का उल्लेख करें: \_\_\_\_\_

यदि नहीं, तो क्यों नहीं? .....

12. क्या सप्ताहों में कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? : हाँ  नहीं

यदि हाँ, तो प्रतियोगिता का नाम बताएं \_\_\_\_\_

13. मनोरंजन:

योग  कृतिक कार्यक्रम  स्थानों का नाम

योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और यात्रा-कार्यक्रम पर सीखने के परिणाम \_\_\_\_\_

14. दीवार पत्रिका:

क्या इसे ठीक से बनाए रखा गया है: हाँ  नहीं

दीवार पत्रिका की सामग्री \_\_\_\_\_

•प्रतिभागियों की श्रेणीवार संख्या

क्र. सं.	प्रतिभागी		प्रतिभागियों की श्रेणीवार संख्या															
	राज्य	जिला	अ.जा.		अ.ज.जा.		अन्य पिछड़ा वर्ग		अल्प संख्यक		शारीरिक रूप से दिव्यांग		सामान्य		योग		कुल योग	
			पु.	म	पु.	म	पु.	म	पु.	म	पु.	म	पु.	म	पु.	म		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7	सांसद आदर्श ग्राम से श्रेणीवार प्रतिभागियों की संख्या																	
	कुल योग																	

राज्य निदेशक के हस्ताक्षर


युवा समन्वयक के हस्ताक्षर

जीवन कौशल शिक्षा

एवं

सीसीई

कक्षा IX एवं X



केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
जीवन कौशल शिक्षा शिविर(LSE)  
की तारीख \_\_\_\_\_  
स्थान:- \_\_\_\_\_

प्रतिभागियों से अपेक्षा  
(आने पर प्रतिभागियों द्वारा दायर की जाने वाली प्रश्नावली)

1. आप जीवन कौशल शिक्षा शिविर (LSE) में भाग लेना क्यों चाहते थे?

---

---

---

2. क्या आपने कभी अपने जिले के बाहर किसी जगह का दौरा किया है? यदि हाँ, तो आपका अनुभव क्या था?

---

---

---

3. इस कार्यक्रम से आपकी क्या उम्मीदें हैं?

---

---

---

4. क्या आपके जिले के बाहर आपके मित्र / रिश्तेदार हैं \_\_\_\_\_ हाँ / नहीं

---

यदि हाँ, तो उस स्थान का नाम दें

---

5. दोस्ती, अच्छे भोजन, अच्छे स्वास्थ्य और भ्रातृत्व के बारे में आपकी क्या राय है और इनको मजबूत करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे?

---

---

---

6. क्या आप नेहरू युवा केंद्र या सरकार के अन्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं। अपने जिले में, यदि हाँ, कृपया विस्तार से बताएं।

---

---

---

7. आप किन कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। (ग्रुप डिस्कशन , कल्चरल प्रोग्राम, डिबेट, एलोक्यूशन, फील्ड विजिट, इंटरएक्टिव मीटिंग, योगा, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आदि कृपया बताएं?)

---

---

---

8. आपके शौक क्या हैं? कृपया निर्दिष्ट करें

---

---

---

9. समाज में किशोरों को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

---

---

---

10. इस कार्यक्रम से आप क्या विशेष रूप से सीखना और अनुभव प्राप्त करना चाहेंगे?

---

---

---

11. किसी भी अन्य बिंदु का आप उल्लेख करना चाहेंगे

---

---

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
जीवन कौशल शिक्षा शिविर (LSE)  
की तारीख \_\_\_\_\_  
स्थान:- \_\_\_\_\_

प्रतिभागियों के लिए फीडबैक फार्म  
(कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों द्वारा दायर की जाने वाली प्रश्नावली)

1. प्रतिभागी का नाम (वैकल्पिक) \_\_\_\_\_

2. शिविर के पहले दिन आने पर आपकी पहली भावना क्या थी और अब आपके विचार और प्रभाव क्या हैं?

---

---

---

3. क्या आपने इस कार्यक्रम के दौरान कोई दोस्त बनाया है यदि हाँ, तो ब्याज के कितने और सामान्य क्षेत्र हैं?

---

---

---

4. आपने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा

कार्यक्रम के विषय \_\_\_\_\_

कक्षा कक्ष सत्र \_\_\_\_\_

संस्कृति \_\_\_\_\_

अन्य शिविर गतिविधि \_\_\_\_\_

संसाधन व्यक्ति की बातचीत का तरीका

---

5. क्या इस कार्यक्रम ने किशोरों के मुद्दे के बारे में आपके ज्ञान को समृद्ध किया?

---

---

---

6. किस तरह से आपको लगता है कि आप समाज में जिम्मेदार और उत्पादक युवाओं की परवरिश में योगदान दे सकते हैं?

---

---

---

7. अपने इलाके में किशोरों को मुख्यधारा में लाने के लिए LSE में भाग लेने के बाद आप क्या भूमिका निभाएंगे?

---

---

---

8. आप अपने लाभ के लिए अपने साथियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा(LSE)में जमा की गई जानकारी का प्रसार कैसे करेंगे?

---

---

---

9. जीवन कौशल शिक्षा(LSE)के संगठन में आप क्या सुधार सुझाएंगे? जिन गतिविधियों को आप जोड़ना चाहते हैं / कार्यक्रम से बाहर रखा गया है।

---

---

---

10. आपका समग्र प्रभाव:

• भोजनालय और आवास:- \_\_\_\_\_

---

---

• कार्यक्रम और गतिविधियाँ: - \_\_\_\_\_

---

---

• संसाधन व्यक्ति के साथ बातचीत: - \_\_\_\_\_

---

---

• युवाओं के साथ बातचीत: - \_\_\_\_\_

---

---

11. कोई भी अन्य टिप्पणी जो आप उपरोक्त बिंदुओं से अलग दर्ज करना चाहते हैं।

---

---

जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर की विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित तरीके से (3 प्रतियों में) आनी चाहिए।

जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर रिपोर्ट की सामग्री में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: -

1. फ्रंट और बैक कवर पेज (नमूना संलग्न)
2. फोटो कोलाज फ्रंट और बैक पेज के आंतरिक आवरण में दिया जा सकता है
3. युवाओं पर माननीय प्रधान मंत्री का उद्धरण
4. राज्य में युवाओं की स्थिति
5. एनवाईकेएस की साख
6. पृष्ठभूमि और संदर्भ
7. उद्देश्य और उद्देश्य (जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर के दिशा निर्देशों के अनुसार)
8. युवाओं की पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्त जीवन कौशल शिक्षा शिविर में भाग लिया
9. रणनीति लागू करना
10. किट में दी गई सामग्री जैसे। आईईसी सामग्री, पुस्तिकाएं आदि।
11. रिपोर्टिंग प्रोफार्मा (अनुलग्नक- IV) के साथ कार्यक्रम और गतिविधियों का विवरण विधिवत रूप से प्रासंगिक कार्रवाई तस्वीरों की अधिकतम संख्या द्वारा समर्थित है जिनमें शामिल हैं: -
  - जीवन कौशल शिक्षा शिविर के व्याख्यान / प्रश्न उत्तर सत्र (दिशानिर्देशों में उल्लिखित मूल मुद्दों पर) पर कार्रवाई चित्र
  - चर्चा, बहस, कहानी, प्रदर्शन पद्धति,

जीवन कौशल शिक्षा शिविर में किए गए प्रत्येक गतिविधि पर लिखें	उस गतिविधि के फोटो दिए जाने चाहिए
जीवन कौशल शिक्षा शिविर में की गई अन्य गतिविधि पर लिखें	उस गतिविधि के फोटो दिए जाने चाहिए

12. वित्तीय निहितार्थ (अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना)
13. अनुलग्नक VII (ए और बी) से प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया
14. आउटकम और निष्कर्ष
15. रिपोर्ट को नमूना निमंत्रण कार्ड, प्रेस क्लिपिंग और ऑडियो वीडियो सीडी द्वारा विधिवत समर्थन किया जाना चाहिए।
16. वीआईपी, राज्य / जिला स्तर के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सूची कार्यक्रम में शामिल हुई
17. प्रेस क्लिपिंग का कोलाज